(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी-6359/2018/होशंगाबाद/भू-रा0

श्रीमती यशोदा बाई पुत्री कन्हैयालाल
चौकसे, निवासी – वनखेड़ी, तहसील
वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, म0प्र0

——— आवेदिका

श्री ... द्वारा आज दि. 26/11/18 ... प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-12-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 26/11/18

26/11/18

विरूद्व

1– नंदराम चौकसे,

2– दुर्गाप्रसाद पुत्रगंण कन्हैयालाल चौकसे,
दोनों निवासी – ग्राम मुर्गीढाना,
तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद,
म0प्र0

——— अनावेदकगंण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्व आदेश दिनांक 28.08.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 390/अपील/2017–18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।</u>

माननीय महोदय,

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 115,116 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा मुर्गीढाना, तहसील वनखेड़ी स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

R-6359/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। निगरानी में पर्याप्त आधार होने से ग्राह्य की जाती है। अनावेदक को सूचना दी जावे। अभिलेख की मांग की जावे। पेशी दिनांक सदस्य पुनश्चः यह निगरानी भूल वश ग्राह्य कर ली गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त नर्मापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 390/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.8.18 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 26.11.18 को प्रस्तुत की गई है। 2–म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सदस्य	R.V. 27/11/18 मूल दस्तावेज प्राप्त किये R.V. 7/12/18